न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–07/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

अमरचंद पुत्र श्री केसराराम आयु 71 वर्ष जाति जाट निवासी छानीबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. केहर सिंह पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी छानीबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पत्नी केहर सिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13.07.2022 पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस., न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा प्रकरण सं. 05/2018 अनवान अमरचंद बनाम केहर सिंह आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय दिनांकः–18.10.2023

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22–23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व नियम 4 व 20 राज. वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2010 विरूद्ध रेस्पोडेंट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी गांव छानीबडी तहसील भादरा का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की उम्र 71 वर्ष है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है। गांव छानीबड़ी में गांव की आबादी के बीच में लाल डोरे के अंदर कदीमी पुराना रिहायशी घर है जिसमें 6 कमरे, रसोई, लेट्रीन–बाथरूम पक्के प्रार्थी के बनवाए हुए है व उक्त मकान के उपर भी तीन कमरे बने हुए है जो प्रार्थी ने अपने जीवनकाल में कड़ी मेहनत करके बनाए है व अपने दूसरे बेटे के सहयोग से 2015–16 में अच्छा मकान बनाया था। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को एम.ए. तक पढ़ा लिखाकर उसकी शादी सन् 2012 में हैसियत से बढ चढकर खर्चा किया। पढाई पूरी होने के बाद सन् 2001 में सूरत (गुजरात) में जाकर प्राईवेट नौकरी लग गया व शादी के बाद अपनी पत्नी को भी सूरत ले गया और परिवर सहित सूरत में रहने लग गया। अप्रार्थी संख्या 1 सूरत में सैटल होने के बाद उसने प्रार्थी व उसकी पत्नी की कोई सुध बुध नहीं ली व ना ही भरण पोषण हेतु खर्चा दिया। प्रार्थी की उम्र 71 वर्ष है व उसकी पत्नी बाधोदेवी 70 वर्षीय वृद्ध औरत है जो कि अक्सर बीमार रहती है, कोई शारीरिक श्रम करने में असमर्थ है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से भरण पोषण करने को कहा तो अप्रार्थीगण ने गांव छानीबड़ी में आकर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और दिनांक 13.09.2017 को प्रार्थी को गाली गलौच किया व मारपीट की तथा प्रार्थी का गला पकड़कर नीचे गिरा दिया तो पड़ौस के वेदप्रकाश व प्रार्थी के दूसरे पुत्र मोहन ने बडी मुश्किल से छुडाया जिसकी बाबत प्रार्थी ने दिनांक 15.09.2017 को पुलिस के उच्चाधिकारियों को लिखित में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से माफी मांगी और आईन्दा प्रार्थी के साथ अच्छा व्यवहार करने का यकीन दिलाया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मकान खाली करके अन्यत्र जाने को कहा तो अप्रार्थीगण दो महिने के लिए प्रार्थी से निवेदन करके रहने के लिए दो कमरे मांग कर ले लिये। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण जो पुत्र व पुत्रवधू है इसलिए

प्रेम में वशीभूत होकर अप्रार्थीगण को मकान में दो महिने के लिए रहने की अनुमति दे दी और अप्रार्थी संख्या 1 अपनी पत्नी को गांव छानीबड़ी में छोड़कर स्वयं सूरत चला गया। दो माह गुजरने के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मकान खाली करने को कहा तो अप्रार्थीगण ने मकान खाली करने से साफ इन्कार कर दिया तथा इसी दौरान अप्रार्थी सख्या 2 आवारा लोगो की संगत में आ गई तथा रोज आवारा किस्म के लोग घर पर आने लगे, इसके लिए जब प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी को गालिया निकालने लगी तथा उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने लगी और प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा नंबर 127/2018 दर्ज करवा दिया जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर प्रार्थी के मकान के बीच में दीवार तुरता फुरता तामीर कर मकान के दो भाग बना दिये जिसमें से अप्रार्थीगण ने दो कमरे वाले हिस्से में अपना सारा सामान रखकर मकान का शेष भाग खाली छोड़ दिया जिस पर प्रार्थी ने ताला लगाकर अपने कब्जे में ले रखा है आदि कथन करते हुए यह निवेदन किया कि पुलिस सहायता से अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखलकर बीच में निकाली गई दीवार हटवाई जाकर मकान का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे व अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के घर पर स्वयं या अपने आदमियों की मार्फत किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेंजा ना करे व प्रार्थी की शांतिप्रिय रिहायश में बाधा उत्पन्न ना करे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.07.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुए कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी स्वयं भरण पोषण करने में सक्षम है तथा यह भी आदेश पारित किया कि जब तक विधिक रूप से सक्षम न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक एक दूसरे को बेदखल ना करें व मकान के बीच में से तामीर की गई दीवार की यथास्थिति बनाये रखे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष याचित किया था कि पुलिस सहायता से अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखलकर बीच में निकाली गई दीवार हटवाई जाकर मकान का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे व अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के घर पर स्वयं या अपने आदमियों की मार्फत किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा ना करे व प्रार्थी की शांतिप्रिय रिहायश में बाधा उत्पन्न ना करे। भरण पोषण दिलाये जाने के संबंध में प्रार्थी ने अनुतोष नहीं मांगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र भरण पोषण प्रार्थी स्वयं करने में सक्षम है, का आधार लेकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है व प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान ना कर अहम विधिक भूल की है। इस आधार पर भी आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.07.2022 अपास्त फरमाया जावे। पुलिस सहायता से अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखलकर बीच में निकाली गई दीवार हटवाई जाकर मकान का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे व अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के घर पर स्वयं या अपने आदमियों की मार्फत किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा ना करे व प्रार्थी की शांतिप्रिय रिहायश में बाधा उत्पन्न ना करे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट जरिये न्यायमित्र सुरेन्द्र कुमार सहारण व रेस्पोडेन्ट जरिये न्याय मित्र श्री धीर सिंह बराड़ वकील उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट वृद्ध व्यक्ति है तथा वह व उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहते है। प्रश्नगत मकान अपीलाण्ट द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से बनाया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य से भी साबित किया था। अपीलाण्ट ने गांव छानीबड़ी में गांव की आबादी में 6 कमरे, रसोई, लेट्रीन–बाथरूम पक्के मकान बनाकर एक घर बनाया है तथा इस मकान के उपर भी तीन कमरे बने हुए है जो अपीलाण्ट ने अपने जीवनकाल में कड़ी मेहनत करके बनाए है व अपने दूसरे बेटे के सहयोग से 2015–16 में अच्छा मकान बनाया था। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एम. ए. तक पढ़ा लिखाकर उसकी शादी सन् 2012 में हैसियत से बढ चढकर खर्चा किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे सूरत (गुजरात) में सेटल किया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सूरत में सैटल होने के बाद उसने अपीलाण्ट व उसकी पत्नी की कोई सुध बुध नहीं ली व ना ही भरण पोषण हेतु खर्चा दिया। अपीलाण्ट के स्वअर्जित मकान में धोखापूर्वक [illegible] जबरन काबिज होकर बैठे है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2022 को

Web Copy Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर ... हनुमानगढ़

अपास्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टस को अपीलाण्ट के मकान से बेदखलकर बीच में निकाली गई दीवार हटवाई जाकर मकान का कब्जा अपीलाण्ट को दिलवाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 ने जरिये न्यायमित्र उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि उसके पति केहर सिंह ने अपनी मेहनत मजदूरी से दो कमरे पूर्वी व उत्तरी दिशा वाले करीब 10–15 वर्ष पूर्व निर्मित किये गये है जिसमें अपीलांट का कोई हिस्सा नहीं है व रेस्पोडेंट संख्या 2 की शादी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2012 में हुई थी उससे पहले से ही केहर सिंह के द्वारा अपनी जगह में मकानात अपनी मेहनत मजदूरी से बना लिये थे जिसमें हम रिहायश कर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं मेहनत मजदूरी कर शिक्षा व अपनी शादी की है। अपीलांट व उसकी पत्नी की केहर सिंह ने लगातार सेवा सुश्रुषा की है व उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रतिष्ठित परिवार से शिक्षित औरत है, अपने बच्चे के साथ मकान में अकेली रहती है इत्यादि कथन करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2022 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस को अपीलाण्ट के मकान से बेदखलकर बीच में निकाली गई दीवार हटवाई जाकर मकान का कब्जा अपीलाण्ट को दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलाण्ट वृद्ध व्यक्ति है तथा वह व उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहते है। है। प्रश्नगत मकान अपीलाण्ट द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से अपने जीवनकाल में कड़ी मेहनत करके बनाए है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य से भी साबित किया था जिस पर रेस्पोडेन्टस द्वारा धोखापूर्वक प्रवेश कर जबरन काबिज होकर बैठे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सूरत में सैटल होने के बाद उसने अपीलाण्ट व उसकी पत्नी की कोई सुध बुध नहीं ली व ना ही भरण पोषण हेतु खर्चा दिया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलाण्ट का प्लॉट जिस पर रिहायशी मकान निर्मित है स्वयं के पैसों से खरीदशुदा है ऐसा कोई वैद्य साक्ष्य पेश नहीं किया। परन्तु प्रश्नगत मकान आदि अपीलाण्ट के खर्चे से ही निर्मित होना प्रतीत होता है। जहां तक भरण–पोषण का प्रश्न है जिसकी अपीलाण्ट द्वारा कोई मांग नहीं की है व स्वयं के नाम कृषि भूमि जिस पर स्वयं द्वारा काश्त करने से भी भरण–पोषण करने में सक्षम है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुसार उसके पति केहर सिंह ने अपनी मेहनत मजदूरी से दो कमरे पूर्वी व उत्तरी दिशा वाले करीब 10–15 वर्ष पूर्व निर्मित किये गये है जिसमें अपीलांट का कोई हिस्सा नहीं है व रेस्पोडेंट संख्या 2 की शादी से पहले से ही केहर सिंह के द्वारा अपनी जगह में मकानात अपनी मेहनत मजदूरी से बना लिये थे जिसमें हम रिहायश कर रहे है परन्तु रेस्पोडेन्टस द्वारा यह स्वयं के खर्चे से उक्त मकान आदि का निर्माण किया उक्त सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं होने पर असत्य प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न थानाधिकारी पुलिस थाना भिरानी को सम्बोधित रिहायशी मकान व खाली प्लॉट के घरेलू बंटवारे का परिवारिक राजीनामा अनुसार व प्रश्नगत मकान का प्लॉट पुश्तेनी प्रतीत होने पर प्रश्नगत मकान में रेस्पोडेन्टस का भी हक हिस्सा है जिसके दो हिस्से कर बीच में दीवार तामीर कर पहले से ही निवास कर रहे है। उक्त विवेचनानुसार उक्त अपील में वांछित अनुतोष भरण–पोषण का न होकर घरेलू विवाद प्रतीत होने पर यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2022 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़